

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- देवा

किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- उदा

पत्रावली संख्या : 74/23

दस्तावेज

कार्यवाही विवरण

दिनांक: 13.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 6 के सम्मन प्राप्त लिफाफे से याद तागिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 14 अनुपस्थित। आवाने दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। विपक्षी संख्या 15 द्वारा जवाब नहीं देना जाता। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किराी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पदमा खेडा पटवार हल्का कुण्डई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमावंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 17 की आराजी नम्बर 521, 522, 524, 535, 536, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 553, 554, 555, 557, 558, 563, 565, 566, 585, 586, 587, 588, 589, 593, 599, 600, 605, 606, 610, 629, 630, 639, 640, 641, 646, 650 कित्ता 41 रकबा 6.6100 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु राक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

